

न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ(राज.)
पीठासीन अधिकारी :-विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 196/2024

जीसीएमएस न० 2024/653

1. सुमन पत्नि सूर्यप्रकाश मालु जाति माहेश्वरी आयु वयस्क निवासी निम्बाहेडा तह०
निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

— प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

— विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपरिस्थित :1- श्री नरेन्द्र वैष्णव — अधिवक्ता प्रार्थी

:: निर्णय ::

दिनांक 05.03.2025

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की आराजियात वाके मौजा निम्बाहेडा प०ह० निम्बाहेडा-ए तह० निम्बाहेडा की खाता संख्या 855 के आराजी नं० 1999 रकबा 0.2100 हेक्टेयर लगानी 8 रुपये 82 पैसा, आराजी नं० 2000 रकबा 0.1100 हेक्टेयर लगानी 4 रुपये 62 पैसा कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.3200 हेक्टेयर कुल लगानी 13 रुपये 44 पैसा भूमि स्थित हैं।
2. वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीया की खातेदारी कब्जे काश्त की चली आ रही है उक्त आराजियात प्रार्थीया द्वारा पूर्व खातेदार किशनलाल पिता जियालाल कुम्हार निवासी निम्बाहेडा से रजिस्टर्ड चिकय पत्र से कय कर कब्जा प्राप्त किया है जिसके पुराने आराजी नं० 2209/1502 रकबा 17 बिस्वा जिसके नवीन आराजी नं० 90 199 रकबा 0.2100 हेक्टेयर व पुराने आराजी नं० 2210/1503 रकबा 9 बिस्वा जिसके नवीन आराजी नं० 2000 रकबा 0.1100 हेक्टेयर स्थित हैं। उक्त आराजियात पुराने नक्शा ट्रेस में संकडा कर दिया है और प्रार्थीया की उक्त आराजियात की रकबा बरारी करने पर प्रार्थीया की आराजी का रकबा पुरा नहीं बैठता है, प्रार्थीया की करीब 3 आरी भूमि कम आती है तथा विकय पत्र अनुसार दोनो आराजी के रकबे को मिलाने पर करीब 1 आरी भूमि कम आ रही है इस प्रकार कुल 4 आरी भूमि नवीन नक्शा ट्रेस को संकरा कर देने से कम आती है जो राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से हुआ है। इसलिए प्रार्थीया की आराजियात को मौके पर काबिज अनुसार एवं राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार, नवीन नक्शा ट्रेस व राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरुस्ती किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।
3. प्रार्थना पत्र पेश का निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीया के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी को प्रार्थीया के मौके पर काबिज अनुसार, एवं राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार, नवीन नक्शा ट्रेस व राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरुस्त कर तरमीम किये जाने की कृपा करावें।
4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेडा ने मय अनुशंषा जांच रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत की जो निम्नानुसार है:-



उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

- ग्राम निम्बाहेडा पटवार हल्का निम्बाहेडा-ए की जमाबन्दी रोटेशन वर्ष 2077-80 के खाता संख्या 855 आ0नं0 1999 रकबा 0.21 हैक्टेयर, आराजी नं0 2000 रकबा 0.11 हैक्टेयर कुल किता-2 रकबा 0.32 है। खातेदार सुमन पत्नि सूर्यप्रकाश मालु हिस्सा-पूर्ण जाति माहेश्वरी सा. देह खातेदार, दर्ज रेकार्ड है।
 - राजस्व नक्शे में रकबा बरारी करने पर आराजी नं0 2000 का रकबा 0.11 हैक्टेयर होता है, जो राजस्व रेकार्ड अनुसार सही है। आराजी नं0 1999 का रकबा बरारी करने पर रकबा 0.19 हैक्टेयर होता है, जो राजस्व रेकार्ड अनुसार 0.02 है। कम है। आराजी के पूर्वी दक्षिणी ओर स्थित आराजी नं0 2003 का रकबा राजस्व रेकार्ड अनुसार 0.20 हैक्टेयर है जबकि राजस्व नक्शे में आराजी का रकबा बरारी करने पर रकबा 0.22 हैक्टेयर होता है जो राजस्व रेकार्ड से 0.02 हैक्टेयर अधिक है। अतः राजस्व रेकार्ड अनुसार आराजी नं0 1999 व आराजी नम्बर 2003 के वर्तमान राजस्व नक्शे में प्रस्तावित संलग्न नक्शा अनुसार तरमीम किया जाना उचित है।
5. दोनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया।
6. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:-

136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:

Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties

एवं

धारा 131 में मानचित्र तथा क्षेत्रमिति (फील्ड बुक) का संधारण (Maintenance) - सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के पश्चात् भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा व राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाए गए नियमों के अनुसार मानचित्र तथा फील्ड बुक रखी जाएगी वह प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार निर्धारित कर प्रत्येक गाँव या गाँव के भाग, भू-सम्पत्ति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को उसमें लेखा लेगा तथा ऐसी गलतियों को जो ऐसे मानचित्र या फील्ड बुक में की गई बतलाई जावे, सही करेगा।

7. इस प्रकार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-136 के तहत प्रार्थना-पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरुस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबन्दी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजान करने



उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

8. का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-136 के तहत आवश्यक होने पर दुरुस्त किया जा सकता है।

9. प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों एवं दस्तावेजों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है ग्राम निम्बाहेडा पटवार हल्का निम्बाहेडा-ए की जमाबन्दी रोटेशन वर्ष 2077-80 के खाता संख्या 855 आ0नं0 1999 रकबा 0.21 हैक्टेयर, आराजी नं0 2000 रकबा 0.11 हैक्टेयर कुल किता-2 रकबा 0.32 है। खातेदार सुमन पत्नि सूर्यप्रकाश मालु हिस्सा-पूर्ण जाति माहेश्वरी सा. देह खातेदार, दर्ज रेकार्ड है। राजस्व नक्शे में रकबा बरारी करने पर आराजी नं0 2000 का रकबा 0.11 हैक्टेयर होता है, जो राजस्व रेकार्ड अनुसार सही है। आराजी नं0 1999 का रकबा बरारी करने पर रकबा 0.19 हैक्टेयर होता है, जो राजस्व रेकार्ड अनुसार 0.02 है। कम है। आराजी के पूर्वी दक्षिणी ओर स्थित आराजी नं0 2003 का रकबा राजस्व रेकार्ड अनुसार 0.20 हैक्टेयर है जबकि राजस्व नक्शे में आराजी का रकबा बरारी करने पर रकबा 0.22 हैक्टेयर होता है जो राजस्व रेकार्ड से 0.02 हैक्टेयर अधिक है। अतः राजस्व रेकार्ड अनुसार आराजी नं0 1999 व आराजी नम्बर 2003 के वर्तमान राजस्व नक्शे में प्रस्तावित संलग्न नक्शा अनुसार तरमीम किया जाना उचित है।

आदेश

तहसीलदार निम्बाहेडा से मय अभिशंषा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम निम्बाहेडा पटवार हल्का निम्बाहेडा-ए की आ0नं0 1999 एवं आराजी नम्बर 2003 हैक्टेयर भूमि में तहसीलदार निम्बाहेडा से प्राप्त प्रस्तावित मौका रिपोर्ट एवं संलग्न प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में किये जाने का आदेश दिये जाते हैं। नक्शा ट्रेस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। निर्णय आज दिनांक 05.03.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(विकास पंचौली)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा